

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक-एफ.1(41)परि./स्था./2008 पार्ट-11/11511
आदेश

जयपुर, दिनांक 28/5/18

राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत जिला परिवहन अधिकारी से सहायक परिवहन आयुक्त कम अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2017-18 व 2018-19 की रिक्ति के लिए दिनांक 25.05.2018 को सम्पन्न हुई।


समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न को अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर उनके सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. श्री अशोक कुमार शर्मा | 2017-18 |
| 2. श्री ललित चौधरी | 2018-19 |

श्री अशोक कुमार शर्मा को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिनांक 01.04.2017 से तथा नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

श्री ललित चौधरी को पदोन्नति का लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।



(डॉ मनीषा अरोड़ा)
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक-एफ.1(41)परि./स्था./2008 पार्ट-11/11512-21

जयपुर, दिनांक 28/5/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अति.निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव, राज.जयपुर।
6. सिस्टम एलालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी
8. संबंधित अधिकारी-----
9. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली
10. रक्षित पत्रावली


अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)